अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं और सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों को सौर ऊर्जा पर मिलेगी क्रमश: 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2022 को हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हरियाणा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं की छतों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और सामाजिक संस्थानों के भवनों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- चौधरी रणजीत सिंह ने यह जानकारी अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थानों के भवनों पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी और शेष 50 प्रतिशत खर्च लाभार्थी संस्थानों को वहन करना होगा।
- बिजली मंत्री ने कहा कि 'म्हारा गाँव, जगमग गाँव' योजना के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। बिजली विभाग भी बिजली चोरी रोकने के लिये निरंतर अभियान चला रहा है।
- उन्होंने बताया की वर्ष 2019-20 में 171688 परिसरों में चेकिंग की गई और 45394 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए तथा 79 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 92.94 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई।
- इसी प्रकार 2020-21 में 226213 परिसरों में चेकिंग की गई और 73524 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए तथा 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 131.7 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई
- वर्ष 2021-22 में 312102 परिसरों में चेकिंग की गई और 75839 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए तथा 272.23 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 132.53 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई। इस प्रकार कुल 357.17 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/scheduled-caste-and-backward-class-dharamshalas-and-social-sector-institutions-will-get-75-percent-and-50-percent-subsidy-respectively-on-solar-energy